न्यायालय श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय राजस्व मंडल सागर (म.प्र.)

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक

ता. प्रस्तुति

294
17-12-15

B.O.R.

17 DEC 2015

मुन्ना लाल सोनी आयु 48 वर्ष, आत्मज अयोध्या प्रसाद सोनी

निवासी जबलपुर नाका ,आमचौपरा तहसील व जिला दमोह म.प्र.

---- पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

श्रीमति राजकुमारी सोनी आयु 55 वर्ष पति रामदास सोनी

साकिन सिविल वार्ड नं. 8 टंडन बगीचा दमोह तहसील व जिला

दमोह म.प्र.

---- उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा:- 50(1) म.प्र.भू राजस्व संहिता

पुनरीक्षणाधीन आदेश:- न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी दमोह के न्यायालय द्वारा राजस्व अपील क्र. 42अ/6वर्ष 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2015

पुनरीक्षणकर्ता, पुनरीक्षणाधीन आदेश से व्यथित व पीड़ित होकर निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर रहा है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी दमोह के समक्ष उत्तरवादी/अपीलार्थी ने पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध उपरोक्त अपील ज्ञापन प्रस्तुत किया था जो कि श्रीमान तहसीलदार महोदय दमोह के संशोधन पंजी क्र. 52/465 में उत्तरवादी की सहमति के आधार पर पारित आदेश दिनांक 30.04.2010 के विरूद्ध था उपरोक्त अपील प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता दिनांक 26.5.2015 को उपस्थित हुआ तथा दिनांक 11.8.2015 को पुनरीक्षणकर्ता ने अपीलार्थी/उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा आवेदन का जबाब प्रस्तुत किया जो कि दिनांक 26.10.2015 को आवेदन स्वीकार किया गया ।

...2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-15-II-16 ..... जिला ...दमोह.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-1-16	प्रकरण में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने गए एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया। SDO दमोह के समक्ष अपील, तहसीलदार दमोह द्वारा संशोधन पंजी पर सहमति के आधार पर पारित आदेश दि- 30.4.10 के विरुद्ध 5 वर्ष के विलम्ब से, निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत होनी बताई गई है। SDO ने अपील क्र. 42अ6/14-15 में पारित आदेश दि. 26-10-15 से यह माफ़ किया है, जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई है। आक्षेपित आदेश दि. 26.10.15 की प्रमाणित छायाप्रति के परिशीलन से मैं यह पाता हूँ कि इसमें विलम्ब माफ़ी के किन्हीं भी कारणों का आधार नहीं लिया गया है। ना तो विलम्ब के कारणों का कोई इल्लेख है, जिन्हें SDO क्यों समाधान-कारक पाते हैं इसकी विवेचना है। ना ही SDO द्वारा यह लिखा है कि उनके विचार में प्रकरण के गुणदोष उन्हें प्रथमदृष्टया ऐसे प्रतीत हुए कि विलम्ब माफ़ करना उन्हें न्यायहित में	

[क्र. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सही लगा, और ऐसा उन्हें क्यों लगा इसकी भी विवेचना नहीं है। इस प्रकार आक्षेपित आदेश एक पूरी तरह मूक आदेश है, जिसे मैं एतद्द्वारा अपास्त करता हूँ। साथ ही मैं SDO दमोह को निर्देश देता हूँ कि विषयांकित प्रकरण में धारा 5 के आवेदन पर, निगराकार द्वारा प्रस्तुत जवाब को भी विचार में लेते हुए और उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर (यदि समुचित अवसर पहले नहीं दिया हो तो) देते हुए, नए सिरे से, इस आदेश के पूर्ववर्ती पैरा में लिखे जा चुके बिन्दुओं के अनुसार एवं उनके प्रकाश में योग्य प्रतिपूर्ति करते हुए, स्पष्टतः कारण एवं आधार दर्शाते हुए बोलते स्वरूप का आदेश, नए सिरे से पारित करें। यह नवीन आदेश तहसीलदार, उन्हें रा. मं. के इस आदेश की सूचना के अधिकतम 1 (एक) माह के भीतर पारित करना सुनिश्चित करें। आदेश पारित। निर्देशों के साथ निगरानी समाप्त। पक्षकार एवं तहसीलदार दमोह सूचित हों। प्रकरण दा. द. हो।	
	12-1-16 (सदस्य)	

शाक्षेमुग्वा—321—फॉर्म्स—21-9-2012—10,000.